दि नैनीताल बैंक लि.

संपत्ति विक्रय हेतु निविदा सूचना

शाखा : मोरनौला रोड, पहाड़पानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) फोन : 05942–282232

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नैनीताल बैंक लि0, मोरनौला रोड, पहाड़पानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्क्शन ऑफ फाइनेन्सियल ऐसेट्स एण्ड, इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2002 के सेक्शन 13(2)के अधीन के भुगतान हेतु 60 दिन की अवधि का नोटिस ऋणीयों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/जमानती भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) व रूल 8 व 9 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का जो हैं, जहाँ है, जैसा है के आधार पर कब्जा दिनांक 21.06.2018 को ले लिया है। तद्उपरान्त निम्न वर्णित सम्पत्ति का सार्वजनिक विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता	विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियो का विवरण	60 दिन के नोटिस की तिथि व देय धनराशि	आरक्षित मूल्य
1– बची राम पुत्र राम लाल, ग्राम तल्ला सलियाकोट पो. ओ. सुन्दरखाल, जिला नैनीताल (ऋणी) 2– हिम्मत सिंह नयाल पुत्र कुवंर सिंह नयाल, ग्राम व पो.ओ. नाई तहसील धारी जिला नैनीताल (जमानती) 3– कृष्णा चन्द्र पुत्र मोती राम, ग्राम तल्ला सलियाकोट पो.ओ. सुन्दरखाल तहसील धारी जिला नैनीताल (जमानती)	आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 2044 वर्ग फीट है, जो खाता सं. 84, खेत सं. 1044 तथा 1045 में तल्ला सलियाकोट, पट्टी सुन्दरखाल, तहसील धारी, जिला नैनीताल में स्थित है तथा जो गिफ्ट डीड द्वारा श्री बची राम पुत्र श्री राम लाल के नाम सब रजिस्ट्रार, धारी, नैनीताल के कार्यालय में बही सं.1, जिल्द सं.114, पृष्ठ सं.168–178, क्रम सं. 453 में दिनांक 30.11.2013 को पंजीकृत है। जिसकी सीमाऐं– उत्तर–गंगा राम की जमीन, दक्षिण– जगदीश चन्द्र का मकान, पूरब– रास्ता, पश्चिम– बची राम की जमीन है।	डिमान्ड नोटिस दिनांक 05.11.2016 को रु. 8,16,560/– (रुपये आठ लाख सोलह हजार पांच सौ साठ सिर्फ) (तथा दिनांक 06.11.2016 से आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे)	रु. 10,54,800/– (रुपये दस लाख चौवन हजार आठ सौ मात्र) **अर्नेस्ट मनी** रु. 1,05,480/– (रुपये एक लाख पांच हजार चार सौ अस्सी मात्र)

विक्रय की शर्तें :– उपरोक्त सम्पत्तियां बैंक में बंधक रखी गयी है तथा इनकी बिक्री जो है, जहाँ है जैसा है के आधार पर की जायेगी। बंधक सम्पत्ति पर बैंक को किसी भी प्रकार के भार अथवा अन्य दावों की जानकारी नहीं है। सम्पत्तियों का निरीक्षण बाहर से कभी भी किया जा सकता है। बिक्री की अन्य शर्तें शाखा प्रबन्धक, मोरनौला रोड, पहाड़पानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) शाखा से किसी भी कार्यदिवस पर सायं 3 बजे से 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। सीलबंद प्रस्ताव, अर्नेस्ट मनी (ड्राफ्ट के रूप में) के साथ किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 03.12.2018 सायं 4.00 बजे तक बैंक की मोरनौला रोड, पहाड़पानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) शाखा में दिये जा सकते हैं। सभी सील बंद लिफाफे आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 04.12.2018 को प्रातः 11.00 बजे मोरनौला रोड, पहाड़पानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) शाखा में खोले जायेंगे। निविदा खोलने के पश्चात समस्त निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प बैंक के पास सुरक्षित है। अधिकतम बोली/आफर करने वाले व्यक्ति का आवेदन स्वीकार किया जायेगा। उसे 25 प्रतिशत बोली राशि (अर्नेस्ट मनी सहित) उसी दिन जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसका प्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा तथा निविदा राशि जब्त हो जायेगी। शेष राशि 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टांप डयूटी आदि खर्चे क्रेता को स्वयं वहन करने होगें। अर्नेस्ट मनी अथवा विक्रय प्रतिफल के रूप में जमा किसी भी राशि पर किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी को अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये बिक्री प्रक्रिया को रद्द/या अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर सकता है। नोट - इस सूचना द्वारा उपरोक्त ऋणियों/जमानतियों को सूचित किया जाता है कि कब्जाकृत सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी ने सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय का निर्णय लिया है परन्तु नीलामी तिथि से पूर्व किसी भी समय बैंक की सम्पूर्ण बकाया रकम जमा करवाने पर नीलामी रोक दी जायेगी। इस नोटिस को 15 दिवस का विक्रय नोटिस भी समझा जावे।

स्थान : पहाड़पानी (जिला नैनीताल) दिनांक : 14.11.2018

प्राधिकृत अधिकारी, दि नैनीताल बैंक लि.